

संख्या: 84 -विनियम-23/राविप-93-उविनि0/92 दिनांक/24 फरवरी, 1998

विधिविधि

इलेक्ट्रिसिटी [सप्लाई] एक्ट, 1948 की धारा 79[सी] के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, अपने अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज़ेब्रता अवधारित करने के लिये एतद्वारा निम्न विनियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज़ेब्रता विनियमावली-1998

भाग-1

प्रारम्भिक

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

111 यह विनियमावली उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज़ेब्रता विनियमावली-1998 कही जायेगी।

121 यह विनियमावली तत्काल प्रभावी होगी।

2- लागू होना

यह विनियमावली उन सभी उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के सेवकों पर लागू होगी जिनकी अती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में परिषद द्वारा इलेक्ट्रिसिटी [सप्लाई] एक्ट, 1948 की धारा 79[सी] के अधीन विनियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

3- अध्यारोही प्रभाव

यह विनियमावली इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रातिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली में:-

- 1क1 किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य संगत सेवा विनियमों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियों करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है।
- 1ख1 "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है।
- 1ग1 "आयोग" का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा आयोग से है।

14. "समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है,
15. "पोषक संवर्ग" का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा विनियमों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय,
16. "सेवा" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है,
17. "सेवा विनियमावली" का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 79 सी के अधीन बनायी गई विनियमावली से है और जहां ऐसी विनियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए परिषद द्वारा जारी किये गये कार्यपालन अनुदेशों से है,
18. "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा विनियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।
19. "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो

ज्येष्ठता का अवधारण

5. उस स्थिति में ज्येष्ठता, जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों की जाएं

जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियों केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है,

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की सिद्धि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा:

अतएव प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्तवर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे,

सहायक
६/७

11/5/72

स्पष्टीकरण:-

जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किये जाएं तो नियमित भर्ती के लिये किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा।

6. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जाए-

जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण:-

पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

7. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जाए-

जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार आधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण:-

जहां पोषक संवर्गों में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विभिन्न पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हों, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

अन्य प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्तवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

अ. १५

६/५/५५

8. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियों पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय-

111 जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियों पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाती हों, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप-नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

अगतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता छो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

121 किसी एक चयन के परिणामस्वरूप-

1क1 सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी घटास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो,

1ख1 पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है घटास्थिति, विनियम 6 या विनियम-7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

131 जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियों पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों श्रेणियों के लिए विहित कोटा के अनुसार, क्रानुक्रम में प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त-111 जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता

निम्नलिखित क्रम में होगी:-

- प्रथम — पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय — सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति
और इसी प्रकार आगे भी।

93

12। जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी—

- प्रथम — पदोन्नत व्यक्ति;
द्वितीय से चतुर्थ तक — सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति,
पांचवा — पदोन्नत व्यक्ति,
छठा से आठवां — सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और
इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि—

- 1। एक। जहां किसी स्रोत से नियुक्तियों विहित कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों।
- 2। दो। जहां किसी स्रोत से नियुक्तियों विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उक्त वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियों की जाएं किन्तु उनके नाम सूची पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।
- 3। तीन। जहां सेवा विनियमावली के अनुसार, सहायक सेवा विनियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियों की जायें वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों।

भाग-तीन

ज्येष्ठता सूची

9. ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना

1।

सेवा में नियुक्तियों होने के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र निर्धारित प्राधिकारी द्वारा विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।

96

- 121 अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जाएगा।
- 131 इस विनियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपात्ति ग्रहण नहीं की जाएगी।
- 141 नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।
- 151 उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोशक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

परिषद की आज्ञा से,

21/12/98
भारत चन्द रस्तोगी
सचिव

संख्या: 94111 विनि0-23/रा विप-98-तदुदिनीक
प्रतिलिपि सचिव, राजी, 3070 रासन, लखनऊ को पत्रांक सं01117पी:2,
98-24-218 एग। 3/96, दिनांक 24.2.98 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से,

सचिव

- संख्या: 84111 विनि0-23/रा विप-98-तदुदिनीक
- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 111 समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता स्तर । व ।।।, 3070 राज्य विद्युत परिषद।
 - 121 समस्त नियन्त्रक, लेखा स्कन्ध, 3070 राज्य विद्युत परिषद।
 - 131 सभापति, जॉय समिति, 3070 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
 - 141 मुख्य लेखा अधिकारी, 3070 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।